



शंकरिणी दिनांक 4.1.2024 में जे चारा  
 53 RTA विभाजन की हद तक का  
 अनुसंधान करने का आदेश दिया  
 जाता है। नौजा क्र. व त. की नाराज्जी  
 नं. 1685, 1686, 456, 468, 469, 472,  
 473, 56, 57, 638, 648, 657, 658,  
 659, 662, 664, 669, 759, 796,  
 797, 807, 809 कुल मिला 22  
 रकबा 8.75 हेक्टर भूमि में वादी  
 नं. 1 का 1/5, वादी नं. 2 का 1/5,  
 वादी नं. 3 का 1/5, वादी नं. 4 से 6  
 का संपुर्ण 1/5 हिस्सा प्रतिवादी  
 नं. 1 का 1/5 हिस्सा एवं नाराज्जी  
 नं. 455, 474 कुल मिला 2 रकबा  
 0.58 हेक्टर भूमि में वादी नं. 1, 2, 3  
 कुल का 1/5 हिस्सा, वादी नं. 4 से  
 6 का संपुर्ण 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी  
 नं. 1 का 1/5 हिस्सा एवं नाराज्जी नं.  
 656 रकबा 0.32 हेक्टर में वादी  
 नं. 1, 2, 3 का 1/5 कुल का वादी  
 नं. 4 से 6 का संपुर्ण 1/5 हिस्सा  
 प्रतिवादी नं. 1 का 1/5 हिस्सा  
 अधिष्ठित किया जाता है। हाथ आदेश  
 का हिस्सा पक्का रहेंगे। सभी  
 अनुसंधान इति मुक्ति हो  
 पनावही जेकर मुफ्त हो  
 रकबा के का हो।

सहायक कलेक्टर  
 यजीसादड़ी